जनपद-संतकबीरनगर प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 05-08-2019

पुलिस अधीक्षक संतकबीरनगर श्री ब्रजेश सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक श्री असित श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण मे जनपद संतकबीरनगर मे दिनॉक 05.08.2019 को कानून व्यवस्था, अपराध एवं अपराधियो पर नियन्त्रण हेतु चलाये गये चेकिंग अभियान मे निम्नलिखित कार्यवाहिया की गयी।

बखिरा पुलिस द्वारा बहला फुसलाकर भगा ले जाने व दुष्कर्म करने का अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 184 / 19 धारा 376 / 363 / 366 भा0द0वि0 व 3/4 पोक्सो एक्ट के अभियुक्त शिवकुमार पुत्र झगरु निवासी लोहरसन थाना बखिरा को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्त द्वारा दिनाँक 10.05.2019 को वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले गया था व उसके साथ दुष्कर्म किया था। जिसके उपरान्त वादी द्वारा थाना बखिरा पर दिनाँक 11.05.2019 को अभियोग पंजीकृत किया गया था जिसके उपरान्त थाना बखिरा पुलिस द्वारा आज दिनाँक 05.08.2019 को अभियुक्त को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस बल का विवरण- उ0नि0 श्री आनन्द कुमार सिंह, हे0का0 रामपाल तिवारी, म0हे0का0 सावित्री मिश्रा।

विदेश भेजने के नाम पर पैसा ठगने व फर्जी बीजा बनाने का अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 284 / 19 धारा 419/420/467/468/471/504 भा0द0वि0 के अभियुक्त समीउल्लाह पुत्र इनामुल्लाह निवासी बुद्दिरामपुर थाना श्यामदेउरवा जनपद महराजगंज को गिरफ्तार किया गया।

विदित हो कि अभियुक्तगण द्वारा दिनाँक 19.05.2019 को वादी व अन्य लोगों से विदेश भेजने के नाम पर पैसा लिया व फर्जी बीजा व टिकट दिया बाद में शिकायत करने पर गाली गुप्ता दिया। वादी द्वारा दिनांक 10.07.2019 को थाना बखिरा पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। जिसमें आज दिनाँक 05.08.2019 को अभियुक्त समीउल्लाह को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। पूर्व में अन्य अभियुक्त राममिलन पुत्र कामता कन्नौजिया निवासी परासी पिपरा बोरिंग थाना बखिरा को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

सन्तकबीरनगर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त अवैध चाकू के साथ गिरफ्तार

थाना दुधारा पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त अकबर अली पुत्र सादिक अली निवासी बाघनगर थाना दुधारा जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना दुधारा पर मु0अ0सं0 245 / 19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 01 अदद अवैध चाकू के साथ अभियुक्त दिलीप निषाद पुत्र बहादुर निषाद निवासी बीमापार थाना मेंहदावल जनपद सन्तकबीरनगर को गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर मु0अ0सं0 206 / 19 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया।

आबकारी अधनियम के अन्तर्गत 90 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद, 10 अभियुक्त गिरफ्तार

थाना बखिरा पुलिस द्वारा 08अभियुक्त नाम पता – 1 – राजाराम पुत्र स्व0 हरिगेन निवासी कदमा 2- रामसुमेंर पुत्र ओरी निवासी शिवबखरी 3- ऊषा देवी पत्नी नरसिंह निवासी भिडौरा पिकौरा 4- सरोज पत्नी देवीलाल निवासी भिडौरा पिकौरा 5- हरभजन उर्फ कोईल पुत्र शिवमूरत निवासी भिडौरा पिकौरा 6- रामचन्दर पुत्र रामबचन निवासी जुडिया 7- सतई पुत्र मडई निवासी तरैना 8- कामता पुत्र सोखी निवासी तरैना थाना बखिरा जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 10-10-10-10-10-10-10-10(कुल 80 ली0) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना बखिरा पर क्रमशः मु0अ0सं0 320/19, 321/19, 322/19, 323/19, 324/19, 325/19, 326/19 व 327 /19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त नाम पता – 1 – स्वामीनाथ पुत्र शंकर निवासी सानी केवटलिया 2- नेबूलाल पुत्र नन्दलाल निवासी बेलबनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को क्रमशः 05-05 (कुल 10 ली0) लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार कर थाना मेंहदावल पर क्रमशः मु0अ0सं0 207/19 व 208 /19 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

वारण्टी

थाना कोतवाली पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता पिण्टू पुत्र रामचन्दर निवासी रेलवे स्टेशन रोड़ थाना कोतवाली खलीलाबाद जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

थाना मेंहदावल पुलिस द्वारा एक वारण्टी नाम पता छट्ठू पुत्र नन्दलाल निवासी बेलबनवा थाना मेंहदावल जनपद संतकबीरनगर को गिरफ्तार किया गया।

पीआरवी आफ द डे

पीआरवी 1484 ने विवाद को कराया शान्त– पीआरवी 1484 को थाना धनघटा क्षेत्र के अन्तर्गत इवेन्ट संख्या 9214 से कालर ने विवाद / मारपीट होने के सम्बन्ध मे सूचना दी। इस सूचना पर पीआरवी कर्मियो द्वारा तत्काल 05 मिनट में घटनास्थल पर पहुचकर विवाद को शान्त कराकर दोनो पक्षों के व्यक्तियों को विधिक कार्यवाही हेतु थाना धनघटा के सुपुर्द किया गया। पीआरवी कर्मियों की सतर्कता एवं सूझबूझ से घटनास्थल पर समय से पहुचकर विवाद को शान्त कराकर एक बड़ी घटना को घटित होने से रोका गया। जिसकी स्थानीय व्यक्तियों द्वारा सराहना की गयी।

पीआरवी स्टाफ- उ0नि0 ज्ञानचन्द शुक्ल, मुख्य आरक्षी जगदीश शरण, हो0चा0 सुनील कुमार।

मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत 01 वाहन सीज, 05 वाहनों का चालान व 69 वाहनो से 130200 रू0 सम्मन शुल्क वसूल

आज दिनांक 05-08-2019 को जनपद संतकबीरनगर के सभी थाना क्षेत्रो मे बैंक / वाहन / संदिग्ध व्यक्तियो की चेकिंग के दौरान समस्त प्रभारी निरीक्षक / थानाध्यक्ष / प्रभारी यातायात द्वारा मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कड़ी कार्यवाही करते हुए 01 वाहन सीज, 05 वाहनों का चालान व 69 वाहनो से 130200 रू0 सम्मन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग (151/107/116 सीआरपीसी) मे 09 अभियुक्त गिरफ्तार –

- **महुली पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 02 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **धनघटा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **दुधारा पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 03 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।
- **मेंहदावल पुलिस द्वारा** 151/107/116 सीआरपीसी मे 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

एन्टी रोमियो अभियान के अन्तर्गत की गयी कार्यवाही

आज दिनांक 05-08-2019 को जनपदीय पुलिस व एण्टी रोमियो टीम द्वारा मनचले / रोमियो चेकिंग के दौरान 21 स्थानों पर चेक करते हुए कुल 73 व्यक्तियों को चेक किया गया। मनचले व शोहदे किस्म के लड़को से पूछताछ करने के पश्चात कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा गया तथा हिदायत दी गयी कि बिना किसी कारण के बाजारों व चौराहों के आसपास दोबारा घूमते हुए पाये जाने पर कड़ी वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।